शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/साप्र/बी/2644/पंराज/मुल/19 दिनांकः– 11/3/19

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
अजमेर सम्भाग,
अजमेर

विषयः–स्व0श्री रामरतन जाट, प्रबोधक के आश्रित पुत्र श्री रामप्रकाश चौधरी को को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध मे।

प्रसंगः–आपका पत्रांक संनि/स्कूल शिक्षा/अज/संस्था–3/ फा–25/2019 /1093 दिनांक 18.02.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न स्व0श्री रामरतन जाट, प्रबोधक के आश्रित पुत्र श्री रामप्रकाश चौधरी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूल ही लौटाकर लेख है कि शासन के आदेश दिनांक 24.09.2018 में केवल पंचायती राज में नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक जो रा0प्रा0वि0/उ0प्रा0वि0 मे कार्यरत है के मृतक आश्रितो को शिक्षा विभाग में अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त नियमो में प्रबोधको के आश्रितो को नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नही होने के कारण मूल प्रकरण संलग्न लौटाया जा रहा है।

संलग्नः– मूल प्रकरण

-sd-
जिला शिक्षा अधिकारी
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Book – Post

भारत सरकार का ...

प्रतिलिपिः–श्री राम प्रकाश चौधरी, पुत्र स्व0श्री राम रतन जाट, निवासी ग्राम गुलाबपुरा पो0 पचेवर तह0 मालपुरा जिला टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

.../3/19
जिला शिक्षा अधिकारी
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रेषक :-
निदेशक
कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा
राज. बीकानेर

राजस्थान-सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. 8(14)प्राशि/2007

जयपुर, दिनांक: 11 APR 2019

संशोधित परिपत्र

पंचायती राज नियमों के अंतर्गत नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति पंचायती राज विभाग के स्थान पर शिक्षा विभाग द्वारा दिये जाने के संबंध में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से परिपत्र क्रमांक: एफ28( )पंरावि/प्रशा.-2/मृ.आ.अनु.नि./मार्गदर्शन/2017 दिनांक 24.09.2018 जारी किया गया था जिसकी निरन्तरता में पंचायती राज विभाग में पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत नियुक्त प्रबोधकों के मृतक आश्रितों को भी अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ग्रेड पे 2800 (वर्तमान में लेवल-8) तक के पदों पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति शिक्षा विभाग द्वारा दी जायेगी।

यह परिपत्र कार्मिक विभाग की आईडी 693/डीओपी/ए-2/18 दिनांक 28.08.2018 एवं वित्त विभाग की आईडी 101801915 दिनांक 03.05.2018 में प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

11/4/19
(आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1) विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
(2) विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
(3) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
(4) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
(5) निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग, जयपुर।
(6) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग, जयपुर।
(7) निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
(8) निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
(9) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
(10) उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा-समस्त।
(11) जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा-समस्त।
(12) रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner

प्रबोधक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षा विभाग देगा

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

पंचायतीराज सेवा नियमों के अन्तर्गत नियुक्त प्रबोधकों के मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षा विभाग देगा। पंचायतीराज और प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के बीच इन प्रकरणों की सहमति के बाद शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव आर. वेंकटेश्वर ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

पंचायतीराज नियमों के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के मृतक आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति पंचायतीराज विभाग की जगह शिक्षा विभाग के माध्यम से किए जाने के लिए दोनों विभागों के बीच संयुक्त परिपत्र के जरिए पहले ही सहमति बन चुकी थी। अब दोनों विभागों ने इसी सहमति के आधार पर प्रबोधकों के मृतक आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए भी यही रास्ता चुना है।

पंचायतीराज विभाग के नियमों के अन्तर्गत नियुक्त प्रबोधकों के मृतक आश्रितों को शिक्षा विभाग नियुक्ति देगा और नियमों के अनुसार ग्रेड पे 2800 (वर्तमान में लेवल-आठ) के पदों पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। प्रबोधकों से जुड़े अनुकम्पात्मक नियुक्ति का संयुक्त परिपत्र जारी करने से पहले दोनों विभागों ने कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी को भी आधार बनाया है। शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव आर. वेंकटेश्वरन ने प्रबोधकों से जुड़े ऐसे सभी प्रकरणों को इसी संयुक्त परिपत्र के आधार पर नियुक्ति देने के लिए अफसरों को कहा है।